UPHR010060382018

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act, हरदोई।

विशेष परिवाद संख्या- 364/2018

रामदास प्रति सियाराम, आदि

अं०धारा- 323, 379, 506 IPC
& 3(1)(X) SC/ST (P.A.) Act
थाना- पाली, जिला हरदोई

दिनांकः 06-08-2026

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी निरन्तर अनुपस्थित। अभियुक्तगण अनुपस्थित।

प्रस्तुत प्रकरण में आदेश दिनांकित 07.09.2019 के माध्यम से अभियुक्तगण सियाराम, रामसेवक, रामदेव व पवन कुमार को अं०धारा 323, 379, 506 भा०द०सं० व 3(1)(X) SC/ST (P.A.) Act विचारणार्थ आहूत किया गया है। परिवादी अन्तिम बार दिनांक 03.10.2022 को उपस्थित आया था। इस प्रकार परिवादी लगभग 4 वर्षों से अनुपस्थित चल रहा है। परिवाद कार्यवाही में पैरवी करने का दायित्व परिवादी का होता है, जिसका निर्वहन परिवादी द्वारा नही किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी प्रस्तुत परिवाद में अग्रेतर कार्यवाही का इच्छुक नही है। अतः परिवाद अदम पैरवी में निरस्त कर, अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण सियाराम, रामसेवक, रामदेव व पवन कुमार को आक्षेपित अपराध अं०धारा 323, 379, 506 भा०द०सं० व 3(1)(X) SC/ST (P.A.) Act से उन्मोचित किया जाता है। बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संग्रहीत अभिलेखागार हो।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई
ID- UP1574

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.08.14 10:59:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court